

F. No. 2/49/2021-BM-II/ICP
Government of India
Ministry of Home Affairs
BM-II Division

Room No. 20, 2nd Floor,
Major Dhyan Chand National Stadium,
India Gate Circle, New Delhi.

Date: 21st June, 2023.

To

The Chairman,
Land Ports Authority of India,
1st Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi.

Subject: **Publication of notifications in the Gazette of India – reg.**


Sir,

I am directed to refer to LPAI's letter No. OPS/30011/407/2022/610 dated 18.04.2023 and to inform that following ICPs have been notified in the Gazette of India on 16.06.2023 with their Gazette Notification Numbers against their locations:-

S. No.	ICP location	Gazette Number
i.	ICP Sutarkandi	CG-DL-E-20062023-246682
ii.	ICP Srimantapur	CG-DL-E-20062023-246681
iii.	ICP Sabroom	CG-DL-E-20062023-246680
iv.	ICP Raxaul	CG-DL-E-20062023-246679
v.	ICP Petrapole	CG-DL-E-20062023-246678
vi.	ICP Jogbani	CG-DL-E-20062023-246677
vii.	ICP Moreh	CG-DL-E-20062023-246676
viii.	ICP Dera Baba Nanak	CG-DL-E-20062023-246691
ix.	ICP Agartala	CG-DL-E-20062023-246690
x.	ICP Attari	CG-DL-E-20062023-246689

2. Copies of corresponding Gazette Notifications are enclosed for reference.

Encl.: as above

Yours faithfully,

(Vaibhav Katyal),
Section Officer,
BM-II Division
Tel/fax: 23075321



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062023-246682
CG-DL-E-20062023-246682

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2581]
No. 2581]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 20, 2023/ज्येष्ठ 30, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 20, 2023/JYAISHTHA 30, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2023

का.आ. 2695(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 31) की धारा 2 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तहसील करीमगंज, जिला करीमगंज, असम, भारत, पिन कोड- 788712 में स्थित सुतारकंडी भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में निर्दिष्ट करती है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 से लेकर बांग्लादेश से लगने वाली अंतराष्ट्रीय सीमा पर शून्य बिंदु तक 88.56 एकड़ माप की भूमि पर निम्नवत फैली हुई है, अर्थात्:-

- (क) उत्तर पूर्व : 24° 52'19.83" उत्तर एवं 92° 15'0.42" पूर्व;
 - (ख) उत्तर पश्चिम : 24° 52'17.24" उत्तर एवं 92° 14'59.42" पूर्व;
 - (ग) दक्षिण पूर्व : 24° 52'16.23" उत्तर एवं 92° 15'1.4" पूर्व;
 - (घ) दक्षिण पश्चिम : 24° 52'14.97" उत्तर एवं 92° 14'59.51" पूर्व।
2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 2/49/2021-बीएम-II/आईसीपी]

डॉ. सुनील कुमार वर्णवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2023

S.O. 2695(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 2 of the Land Ports Authority of India Act, 2010 (31 of 2010), the Central Government hereby specifies the land port at Sutarkandi, located in Tehsil Karimganj, District Karimganj, Assam, India, Pin Code – 788712 as integrated check post measuring 88.56 acres of land along the National Highway number 37 up to the Zero point on the International Border with Bangladesh as follows, namely: —

- (a) North East : 24° 52'19.83"N and 92° 15'0.42" E;
- (b) North West : 24° 52'17.24"N and 92° 14'59.42" E;
- (c) South East : 24° 52'16.23"N and 92° 15'1.4" E;
- (d) South West : 24° 52'14.97"N and 92° 14'59.51" E.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2/49/2021-BM-II/ICP]

DR. SUNIL KUMAR BARNWAL, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062023-246681
CG-DL-E-20062023-246681

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2582]
No. 2582]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 20, 2023/ज्येष्ठ 30, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 20, 2023/JYAISHTHA 30, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2023

का.आ. 2696(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 31) की धारा 2 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तहसील सोवापुर, सब-डिविजन सोनामुरा, जिला सेपाहिजाला, त्रिपुरा, भारत, पिन कोड- 799131 में स्थित श्रीमंतापुर भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में निर्दिष्ट करती है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से लेकर बांग्लादेश से लगने वाली अंतराष्ट्रीय सीमा पर शून्य बिंदु तक 3.51 एकड़ माप की भूमि पर निम्नवत फैली हुई है, अर्थात्:-

- (क) उत्तर पूर्व : 23° 27'37.8" उत्तर एवं 91° 15'12.6" पूर्व;
- (ख) उत्तर पश्चिम : 23° 27'36.8" उत्तर एवं 91° 15'22.0" पूर्व;
- (ग) दक्षिण पूर्व : 23° 27'34.0" उत्तर एवं 91° 15'12.4" पूर्व;
- (घ) दक्षिण पश्चिम : 23° 27'34.2" उत्तर एवं 91° 15'22.0" पूर्व।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 2/49/2021-बीएम-II/आईसीपी]

डॉ. सुनील कुमार वर्णवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2023

S.O. 2696(E).— In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 2 of the Land Ports Authority of India Act, 2010 (31 of 2010), the Central Government hereby specifies the land port at Sabroom, located in Tehsil Sabroom, District South Tripura, Tripura, India, Pin Code – 799145 as integrated check post measuring 50.137 acres of land along the National Highway number 8 up to the Zero point on the International Border with Bangladesh as follows, namely: __

- (a) North East : 23° 27'37.8"N and 91° 15'12.6" E;
- (b) North West : 23° 27'36.8"N and 91° 15'22.0" E;
- (c) South East : 23° 27'34.0"N and 91° 15'12.4" E;
- (d) South West : 23° 27'34.2"N and 91° 15'22.0" E.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2/49/2021-BM-II/ICP]

DR. SUNIL KUMAR BARNWAL, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062023-246680
CG-DL-E-20062023-246680

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2583]
No. 2583]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 20, 2023/ज्येष्ठ 30, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 20, 2023/JYAISHTHA 30, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2023

का.आ. 2697(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 31) की धारा 2 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तहसील सबरूम, जिला दक्षिण त्रिपुरा, त्रिपुरा, भारत, पिन कोड- 799145 में स्थित सबरूम भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में निर्दिष्ट करती है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से लेकर बांग्लादेश से लगने वाली अंतराष्ट्रीय सीमा पर शून्य बिंदु तक 50.137 एकड़ माप की भूमि पर निम्नवत फैली हुई है, अर्थात्:-

- (क) उत्तर पूर्व : 23° 0'11.825" उत्तर एवं 91° 43'25.639" पूर्व;
(ख) उत्तर पश्चिम : 23° 0'9.46" उत्तर एवं 91° 43'13.168" पूर्व;
(ग) दक्षिण पूर्व : 22° 59'56.107" उत्तर एवं 91° 43'27.718" पूर्व;
(घ) दक्षिण पश्चिम : 22° 59'53.743" उत्तर एवं 91° 43'18.849" पूर्व।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 2/49/2021-बीएम-II/आईसीपी]

डॉ. सुनील कुमार वर्णवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2023

S.O. 2697(E).— In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 2 of the Land Ports Authority of India Act, 2010 (31 of 2010), the Central Government hereby specifies the land port at Sabroom, located in Tehsil Sabroom, District South Tripura, Tripura, India, Pin Code – 799145 as integrated check post measuring 50.137 acres of land along the National Highway number 8 up to the Zero point on the International Border with Bangladesh as follows, namely: —

- (a) North East : 23° 0'11.825"N and 91° 43'25.639" E;
- (b) North West : 23° 0'9.46"N and 91° 43'13.168" E;
- (c) South East : 22° 59'56.107"N and 91° 43'27.718" E;
- (d) South West : 22° 59'53.743"N and 91° 43'18.849" E.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2/49/2021-BM-II/ICP]

DR. SUNIL KUMAR BARNWAL, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062023-246679
CG-DL-E-20062023-246679

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2584]
No. 2584]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 20, 2023/ज्येष्ठ 30, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 20, 2023/JYAISHTHA 30, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2023

का.आ. 2698(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 31) की धारा 2 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तहसील रक्सौल, जिला पूर्वी चम्पारण, बिहार, भारत, पिन कोड-845305 में स्थित रक्सौल भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में निर्दिष्ट करती है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28क से लेकर नेपाल से लगने वाली अंतराष्ट्रीय सीमा पर शून्य बिंदु तक 235.35 एकड़ माप की भूमि पर निम्नवत फैली हुई है, अर्थात्:-

- (क) उत्तर पूर्व : 27° 00'52.5" उत्तर एवं 84° 50'02.7" पूर्व;
(ख) उत्तर पश्चिम : 27° 00'40" उत्तर एवं 84° 50'24" पूर्व;
(ग) दक्षिण पूर्व : 27° 0'39" उत्तर एवं 84° 50'24" पूर्व;
(घ) दक्षिण पश्चिम : 27° 0'40" उत्तर एवं 84° 50'24" पूर्व।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 2/49/2021-बीएम-II/आईसीपी]

डॉ. सुनील कुमार वर्णवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2023

S.O. 2698(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 2 of the Land Ports Authority of India Act, 2010 (31 of 2010), the Central Government hereby specifies the land port at Raxaul, located in Tehsil Raxaul, District East Champaran, Bihar, India, Pin Code – 845305 as integrated check post measuring 235.35 acres of land along the National Highway number 28A up to the Zero point on the International Border with Nepal as follows, namely: —

- (a) North East : 27° 00'52.5"N and 84° 50'02.7" E;
 - (b) North West : 27° 00'40"N and 84° 50'24" E;
 - (c) South East : 27° 0'39"N and 84° 50'24" E;
 - (d) South West : 27° 0'40"N and 84° 50'24" E.
2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2/49/2021-BM-II/ICP]

DR. SUNIL KUMAR BARNWAL, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062023-246678
CG-DL-E-20062023-246678

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2585]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 20, 2023/ज्येष्ठ 30, 1945

No. 2585]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 20, 2023/JYAISHTHA 30, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2023

का.आ. 2699(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 31) की धारा 2 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तहसील पेट्रापोल, जिला 24 परगाना, पश्चिम बंगाल, भारत, पिन कोड- 743405 में स्थित पेट्रापोल भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में निर्दिष्ट करती है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 से लेकर बांग्लादेश से लगने वाली अंतराष्ट्रीय सीमा पर शून्य बिंदु तक के 100.78 एकड़ माप की भूमि पर निम्नवत फैली हुई है, अर्थात्:-

- | | | |
|-----|---------------|--|
| (क) | उत्तर पूर्व | : 23° 02'19" उत्तर एवं 88° 53'03" पूर्व; |
| (ख) | उत्तर पश्चिम | : 23° 01'50" उत्तर एवं 88° 52'17" पूर्व; |
| (ग) | दक्षिण पूर्व | : 23° 01'56" उत्तर एवं 88° 52'46" पूर्व; |
| (घ) | दक्षिण पश्चिम | : 23° 02'14" उत्तर एवं 88° 52'33" पूर्व। |

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 2/49/2021-बीएम-II/आईसीपी]

डॉ. सुनील कुमार वर्णवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2023

S.O. 2699(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 2 of the Land Ports Authority of India Act, 2010 (31 of 2010), the Central Government hereby specifies the land port at Petrapole, located in Tehsil Petrapole, District 24 Parganas, West Bengal, India, Pin Code – 743405 as integrated check post measuring 100.78 acres of land along the National Highway number 112 up to the Zero point on the International Border with Bangladesh as follows, namely:—

- (a) North East : 23° 02' 19"N and 88° 53' 03" E;
- (b) North West : 23° 01' 50"N and 88° 52' 17" E;
- (c) South East : 23° 01' 56"N and 88° 52' 46" E;
- (d) South West : 23° 02' 14"N and 88° 52' 33" E.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2/49/2021-BM-II/ICP]

Dr. SUNIL KUMAR BARNWAL, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062023-246677
CG-DL-E-20062023-246677

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2586]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 20, 2023/ज्येष्ठ 30, 1945

No. 2586]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 20, 2023/JYAISHTHA 30, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2023

का.आ. 2700(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 31) की धारा 2 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तहसील फारबिसगंज, जिला अररिया, बिहार, भारत, पिन कोड- 854238 में स्थित जोगबनी भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में निर्दिष्ट करती है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 527 से लेकर नेपाल से लगने वाली अंतराष्ट्रीय सीमा पर शून्य बिंदु तक 188.5 एकड़ माप की भूमि पर निम्नवत फैली हुई है, अर्थात्:-

- | | | |
|-----|---------------|--|
| (क) | उत्तर पूर्व | : 26° 23' 13" उत्तर एवं 87° 15' 50" पूर्व; |
| (ख) | उत्तर पश्चिम | : 26° 23' 11" उत्तर एवं 87° 15' 32" पूर्व; |
| (ग) | दक्षिण पूर्व | : 26° 22' 28" उत्तर एवं 87° 15' 55" पूर्व; |
| (घ) | दक्षिण पश्चिम | : 26° 22' 26" उत्तर एवं 87° 15' 37" पूर्व। |

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 2/49/2021-बीएम-II/आईसीपी]

डॉ. सुनील कुमार वर्णवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2023

S.O. 2700(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 2 of the Land Ports Authority of India Act, 2010 (31 of 2010), the Central Government hereby specifies the land port at Jogbani, located in Tehsil Forbesganj, District Araria, Bihar, India, Pin Code – 854238 as integrated check post measuring 188.5 acres of land along the National Highway number 527 up to the Zero point on the International Border with Nepal as follows, namely:—

- (a) North East : 26° 23' 13"N and 87° 15' 50" E;
- (b) North West : 26° 23' 11"N and 87° 15' 32" E;
- (c) South East : 26° 22' 28"N and 87° 15' 55" E;
- (d) South West : 26° 22' 26"N and 87° 15' 37" E.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2/49/2021-BM-II/ICP]

Dr. SUNIL KUMAR BARNWAL, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062023-246676
CG-DL-E-20062023-246676

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2587]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 20, 2023/ज्येष्ठ 30, 1945

No. 2587]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 20, 2023/JYAISHTHA 30, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2023

का.आ. 2701(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 31) की धारा 2 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तहसील मोरेह, जिला तेंगनौपाल, मणिपुर, भारत, पिन कोड-795131 में स्थित मोरेह भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में निर्दिष्ट करती है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 102 से लेकर म्यांमार से लगने वाली अंतराष्ट्रीय सीमा पर शून्य बिंदु तक 45.5 एकड़ माप की भूमि पर निम्नवत फैली हुई है, अर्थात्:-

- | | | |
|-----|---------------|--|
| (क) | उत्तर पूर्व | : 24° 14'26.97" उत्तर एवं 94° 18'14.96" पूर्व; |
| (ख) | उत्तर पश्चिम | : 24° 14'23.11" उत्तर एवं 94° 17'49.85" पूर्व; |
| (ग) | दक्षिण पूर्व | : 24° 14'18.08" उत्तर एवं 94° 18'13.69" पूर्व; |
| (घ) | दक्षिण पश्चिम | : 24° 14'18.14" उत्तर एवं 94° 17'51.68" पूर्व। |

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 2/49/2021-बीएम-II/आईसीपी]

डॉ. सुनील कुमार वर्णवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2023

S.O. 2701(E).— In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 2 of the Land Ports Authority of India Act, 2010 (31 of 2010), the Central Government hereby specifies the land port at Moreh, located in Tehsil Moreh, District Tengnoupal, Manipur, India, Pin Code – 795131 as integrated check post measuring 45.5 acres of land along the National Highway number 102 up to the Zero point on the International Border with Myanmar as follows, namely:—

- (a) North East : 24° 14'26.97"N and 94° 18'14.96" E;
- (b) North West : 24° 14'23.11"N and 94° 17'49.85" E;
- (c) South East : 24° 14'18.08"N and 94° 18'13.69" E;
- (d) South West : 24° 14'18.14"N and 94° 17'51.68" E.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2/49/2021-BM-II/ICP]

Dr. SUNIL KUMAR BARNWAL, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062023-246691
CG-DL-E-20062023-246691

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2588]
No. 2588]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 20, 2023/ज्येष्ठ 30, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 20, 2023/JYAISHTHA 30, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2023

का.आ. 2702(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 31) की धारा 2 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तहसील डेरा बाबा नानक, जिला गुरदासपुर, पंजाब, भारत, पिन कोड- 143604 में स्थित डेरा बाबा नानक भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में निर्दिष्ट करती है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 354ख से लेकर पाकिस्तान से लगने वाली अंतराष्ट्रीय सीमा पर शून्य बिंदु तक 50 एकड़ माप की भूमि पर निम्नवत फैली हुई है, अर्थात्:-

- | | | |
|-----|---------------|--|
| (क) | उत्तर पूर्व | : 32° 02'36.7" उत्तर एवं 75° 01'42.4" पूर्व; |
| (ख) | उत्तर पश्चिम | : 32° 02'52.2" उत्तर एवं 75° 01'35.2" पूर्व; |
| (ग) | दक्षिण पूर्व | : 32° 02'36.4" उत्तर एवं 75° 01'21.1" पूर्व; |
| (घ) | दक्षिण पश्चिम | : 32° 02'49.1" उत्तर एवं 75° 01'20.7" पूर्व। |

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 2/49/2021-वीएम-II/आईसीपी]

डॉ. सुनील कुमार वर्णवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2023

S.O. 2702(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 2 of the Land Ports Authority of India Act, 2010 (31 of 2010), the Central Government hereby specifies the land port at Dera Baba Nanak, located in Tehsil Dera Baba Nanak, District Gurdaspur, Punjab, India, Pin Code – 143604 as integrated check post measuring 50 acres of land along the National Highway number 354B up to the Zero point on the International Border with Pakistan as follows, namely:—

- (a) North East : 32° 02' 36.7"N and 75° 01' 42.4" E;
- (b) North West : 32° 02' 52.2"N and 75° 01' 35.2" E;
- (c) South East : 32° 02' 36.4"N and 75° 01' 21.1" E;
- (d) South West : 32° 02' 49.1"N and 75° 01' 20.7" E.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2/49/2021-BM-II/ICP]

Dr. SUNIL KUMAR BARNWAL, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062023-246690
CG-DL-E-20062023-246690

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2589]
No. 2589]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 20, 2023/ज्येष्ठ 30, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 20, 2023/JYAISHTHA 30, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2023

का.आ. 2703(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 31) की धारा 2 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तहसील रामनगर, जिला पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा, भारत, पिन कोड- 799001 में स्थित अगरतला भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में निर्दिष्ट करती है, जो अगरतला-अखौरा मार्ग से लेकर बांग्लादेश से लगने वाली अंतराष्ट्रीय सीमा पर शून्य बिंदु तक 28.94 एकड़ माप की भूमि पर निम्नवत फैली हुई है, अर्थात्:-

- | | | |
|-----|---------------|--|
| (क) | उत्तर पूर्व | : 23° 50'15.5" उत्तर एवं 91° 15'20.6" पूर्व; |
| (ख) | उत्तर पश्चिम | : 23° 50'15.2" उत्तर एवं 91° 15'14.9" पूर्व; |
| (ग) | दक्षिण पूर्व | : 23° 50'39.5" उत्तर एवं 91° 15'13.0" पूर्व; |
| (घ) | दक्षिण पश्चिम | : 23° 50'39.6" उत्तर एवं 91° 15'09.7" पूर्व। |

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 2/49/2021-बीएम-II/आईसीपी]

डॉ. सुनील कुमार वर्णवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2023

S.O. 2703(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 2 of the Land Ports Authority of India Act, 2010 (31 of 2010), the Central Government hereby specifies the land port at Agartala, located in Tehsil Ramnagar, District West Tripura, Tripura, India, Pin Code – 799001 as integrated check post measuring 28.94 acres of land along the Agartala - Akhaura Road up to the Zero point on the International Border with Bangladesh as follows, namely:—

- (a) North East : 23° 50' 15.5"N and 91° 15' 20.6" E;
- (b) North West : 23° 50' 15.2"N and 91° 15' 14.9" E;
- (c) South East : 23° 50' 39.5"N and 91° 15' 13.0" E;
- (d) South West : 23° 50' 39.6"N and 91° 15' 09.7" E.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2/49/2021-BM-II/ICP]

Dr. SUNIL KUMAR BARNWAL, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062023-246689
CG-DL-E-20062023-246689

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2590]
No. 2590]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 20, 2023/ज्येष्ठ 30, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 20, 2023/JYAISHTHA 30, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2023

का.आ. 2704(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 31) की धारा 2 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तहसील अटारी, जिला अमृतसर, पंजाब, भारत, पिन कोड-143108 में स्थित अटारी भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में निर्दिष्ट करती है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 01 से लेकर पाकिस्तान से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा पर शून्य बिंदु तक 120.475 एकड़ माप की भूमि पर निम्नवत फैली हुई है, अर्थात्:-

- | | | |
|-----|---------------|--|
| (क) | उत्तर पूर्व | : 31° 36' 20" उत्तर एवं 74° 35' 06" पूर्व; |
| (ख) | उत्तर पश्चिम | : 31° 36' 16" उत्तर एवं 74° 34' 35" पूर्व; |
| (ग) | दक्षिण पूर्व | : 31° 36' 01" उत्तर एवं 74° 35' 08" पूर्व; |
| (घ) | दक्षिण पश्चिम | : 31° 35' 58" उत्तर एवं 74° 34' 48" पूर्व। |

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 2/49/2021-बीएम-II/आईसीपी]

डॉ. सुनील कुमार वर्णवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2023

S.O. 2704(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 2 of the Land Ports Authority of India Act, 2010 (31 of 2010), the Central Government hereby specifies the land port at Attari, located in Tehsil Attari, District Amritsar, Punjab, India, Pin Code – 143108 as integrated check post measuring 120.475 acres of land along the National Highway number 01 up to the Zero point on the International Border with Pakistan as follows, namely: —

- (a) North East : 31° 36' 20" N and 74° 35' 06" E;
- (b) North West : 31° 36' 16" N and 74° 34' 35" E;
- (c) South East : 31° 36' 01" N and 74° 35' 08" E;
- (d) South West : 31° 35' 58" N and 74° 34' 48" E.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2/49/2021-BM-II/ICP]

Dr. SUNIL KUMAR BARNWAL, Jt. Secy.